सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 25 / 2017

1. लटूरलाल पुत्र जगन्नाथ
2. शिवप्रसाद पुत्र लटूरलाल
3. कोशल किशोर पुत्र लटूरलाल
4. अयोध्या बाई पत्नि लटूरलाल

} जातियान मीणा निवासी जलोदा तेजाजी तह0 मांगरोल

......वादीगण

♠ बनाम ♠

1. नन्दकिशोर
2. ओगडीलाल

} पुत्रान मोतीलाल जाति मीणा निवासीगण जलोदा तेजाजी तह0 मांगरोल

3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद वास्ते दुरूस्ते करने राजस्व नक्शा अन्तर्गत धारा 88, 89आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादीगण : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

वकील प्रतिवादीगण : श्री रामस्वरूप नागर

निर्णय दिनांक : 17.05.2018

दायरा दिनांक: 01.06.2017

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि खसरा नं0 248 / 798 रकबा 2.05 है0 आराजी ग्राम जलोदा तेजाजी में स्थित है वादीगण आराजी के रेकार्डेड खातेदार है। प्रतिवादी कम 1 व 2 खसरा नं0 248 रकबा 2.05 है0 आराजी के रेकार्डेड खातेदार है। दोनो खसरा नम्बरान का रकबा 2.05 है0 है। लेकिन हाल राजस्व नक्शा छोटा बडा कर दिया है। खसरा नं0 248 / 798 का राजस्व नक्शा छोटा है तथा खसरा नं0 248 का राजस्व नक्शा बडा है जिसको दुरूस्त किया जाना न्याय संगत है अतः खसरा नं0 248 रकबा 2.05 हे0 व खसरा नं0 248 / 798 रकबा 2.05 है0 का राजस्व नक्शा बराबर–बराबर बनाये जाने के आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 01.06.2017 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य

का पैरोकार है ने अपनी रिपोर्ट कमांक/2018/केम्प जलोदा तेजाजी दिनांक 17.05.2018 से प्रस्तुत तहसीलदार मागरोल ने अपनी रिपोर्ट में अंकन किया कि खसरा नं0 248 रकबा 2.05 है0 व खसरा 248/798 रकबा 2.05 है0 का राजस्व रेकार्ड नक्शा लट्ठा में बराबर–बराबर रकबा दर्ज करने हेतु अभिशंषा की जाती हे।

हमारे द्वारा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रतिवादी कम 3 तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड हाल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट के आधार पर वादी की आराजी खसरा नं0 248/798 रकबा 2.05 है0 आराजी ग्राम जलोदा तेजाजी व प्रतिवादी कम 1 व 2 की आराजी खसरा नं0 248 रकबा 2.05 है0 का नक्शा लट्ठा दुरूस्त किया जाकर बराबर–बराबर बनाये जाने के आदेश तहसीलदार मांगरोल को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो

निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प जलोदा तेजाजी मजमेंआम में सुनाया गया।